न्यायालय श्री सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारी:— राजकेश मीणा आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:— 186 / 2022

प्रार्थी:— मनोहरसिंह पुत्र श्री भूरसिंह, जाति राजपूत, निवासी हनुमाननगर, भेड़, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी:—

श्रीमान् तहसीलदार ओसियां।

उपस्थित —

प्रार्थीगण की ओर से — अधिवक्ता श्री राजेश खीचड़।

अप्रार्थी की ओर से— सरकारी पैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

—::निर्णय::—

दिनांक:— 18/10/2022

प्रार्थीगण द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि— प्रार्थी के पिता व अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 718 रकबा 2.2581 हैक्टेयर, मौजा ग्राम भेड़, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई हैं। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम दर्ज करते वक्त भूलवश भूरसिंह पुत्र प्रेमसिंह दर्ज कर दिया गया जो गलत है जबकि प्रार्थी के दादा का नाम सुजानसिंह। प्रार्थी के पिता के तमाम दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र में उनके पिता का नाम सुजानसिंह दर्ज है तथा अन्य खातेदारी भूमि ग्राम हनुमाननगर के खसरा नम्बर 1047, 1049, 1048, 1038 / 1073 के राजस्व रेकर्ड में भी भूरसिंह पुत्र सुजानसिंह दर्ज है। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में नाम त्रुटि केवल मात्र राजस्व कर्मचारियों की सद्भाविक भूल के कारण हुई हैं। जो वर्तमान में उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं। राजस्व रेकर्ड में रही त्रुटि को लेकर प्रार्थी को भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हैं। जिस वजह से प्रार्थी अपनी भूमि पर भूमि सुधार कार्य करने बाबत् तमाम कार्य रूके हुए पड़े हैं तथा प्रार्थी के पिताजी का स्वर्गवास हो चुका है जिनका फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज करवाने भी भयंकर समस्या हो रही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के पिता व अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा

Scanned with OKEN Scanner

नम्बर 718 रकबा 2.2581 हैक्टेयर, मौजा ग्राम भेड़, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम भूरसिंह पुत्र प्रेमसिंह दर्ज कर रखा है जो गलत है उसके स्थान पर वास्तविक नाम भूरसिंह पुत्र सुजानसिंह दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के पिता का नाम भूरसिंह पिता प्रेमसिंह के स्थान पर भूरसिंह पिता सुजानसिंह किये जाने की अनुशंषा की। अप्रार्थी का जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

यह है कि बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रेकर्ड में भूरसिंह पुत्र प्रेमसिंह गलत दर्ज हो रखा है उसके स्थान पर सही नाम भूरसिंह पुत्र सुजानसिंह दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—::आदेश::—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के पिता व अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 718 रकबा 2.2581 हैक्टेयर, मौजा ग्राम भेड़, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम भूरसिंह पुत्र प्रेमसिंह के स्थान पर वास्तविक नाम भूरसिंह पुत्र सुजानसिंह दर्ज किया जाकर रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 18/10/2022 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसिया